भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 53
दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

बच्चों के साथ घरेलू हिंसा

53. श्री टी॰एन॰ प्रथापनः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घरों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर ध्यान दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या बच्चों के साथ की जा रही क्रूरताओं और हिंसा को रोकने में वर्तमान कानून अपर्याप्त है;
(ग) क्या उक्त उत्पीड़न और हिंसा के शिकार बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र विद्यमान है; और
(घ) सरकार द्वारा उक्त बच्चों का नियमित परामर्श सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ): पिछले कुछ समय में मंत्रालय को ऐसे किसी मामले की सूचना प्रदान नहीं की गई है। तथापि 2007 में मंत्रालय ने बाल दुरूपयोग पर अध्ययन कराया था क्योंकि देश में बाल दुरूपयोग की मात्रा के बारे में सूचना पर्याप्त नहीं थी। यह अध्ययन संचालित करने की मंत्रालय की पहल को यूनिसेफ तथा सेव दी चिल्ड्रेन द्वारा समर्थन प्रदान किया गया। अध्ययन तथा इसके निष्कर्षों के फलस्वरूप सरकार द्वारा 2012 में 'यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012' (पॉक्सो अधिनियम) नामक एक व्यापक कानून अधिनियमित किया गया जिसमें अपराधों की सूचना प्रदान करने, साक्ष्य दर्ज कराने, जांच एवं ट्रायल के लिए बालोनुकूल प्रक्रियाओं तथा ऐसे अपराधों की शीघ्रता से सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के प्रावधान के साथ न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण पर बच्चे के हित एवं कल्याण की रक्षा पर समुचित ध्यान देते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न तथा अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रावधान है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा तथा सेहत के सुनिश्चय के लिए प्राथमिक कानून है। अधिनियम में समुचित देखरेख, संरक्षण, विकास उपचार तथा सामाजिक पुन:एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी आवश्यकतायें पूरी करके देखरेख एवं संरखण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए संरक्षण का प्रावधान है। इसने बच्चों के सर्वोत्तम हित का सुनिश्चय करने के लिए मानक निर्धारित किए हैं। जेजे अधिनियम की धारा 75 के तहत, जो भी, जो बच्चे का वास्तविक प्रभारी है या जिसके नियंत्रण में बच्चा है, बच्चे पर हमला करता है, परित्याग करता है, दुरूपयोग करता है, अनावृत्त करता है या जानबूझकर उपेक्षा करता है या किसी ढंग से हमला करने, परित्याग करने, दुरूपयोग करने, अनावृत्त करने या उपेक्षा करने के लिए बच्चे का उपार्जन करता है या कराता है जिससे ऐसे बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक तकलीफ पहुंच सकती है, को अधिकतम 3 साल के कारावास या एक लाख रूपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

इसके अलावा सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (सीपीसीआर) भी अधिनियमित किया है जिसके तहत बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) का गठन किया गया है। आयोगों को जेजे अधिनियम 2015 की धारा 109 के अनुसार जेजे अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से लागत हिस्सेदारी के लिए पहले से परिभाषित वित्तीय पैटर्न पर 'बाल संरक्षण सेवाएं' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है। यह केन्द्रीय प्रायोजित अंब्रेला एकीकृत बाल स्कीम का एक घटक है। स्कीम का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों को सांविधिक सुरक्षा जाल तथा सेवा प्रदायगी संरचनाएं प्रदान करना है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित पर बल के माध्यम से दुरूपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा माता-पिता से बच्चों के अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली स्थितियों एवं कार्यवाहियों के प्रति भेद्यता में कटौती करना भी है (क) अच्छी बाल संरक्षण सेवाओं तक पहुंच में सुधार; (ख) भारत में बाल अधिकारों, स्थितियों तथा शारीरिक एवं सामाजिक संरक्षण की सच्चाई के बारे में जन जागरुकता बढ़ाना; (ग) बाल संरक्षण के लिए जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और जवाबदेही को लागू करना; (घ) कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों के लिए सांविधिक एवं सहायता सेवाओं की प्रदायगी के सभी स्तरों पर क्रियाशील संरचनायें स्थापित करना; (ड) निगरानी एवं मूल्यांकन के आधार पर प्रचालनात्मक साक्ष्य। स्कीम बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई से सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इसका उद्देश्य स्कीम के तहत जागरूकता सृजन तथा क्षमता निर्माण के साथ बच्चों एवं उनक तिमारदारों के लिए बुनियादी स्तर पर सहायता प्रदान करना है।

कठिन परिस्थितियों के शिकार सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए स्कीम समर्पित टॉल-फ्री नंबर अर्थात 1098 के माध्यम से विपदाग्रस्त बच्चों के लिए आपातकालीन पहुंच सेवा के लिए सहायता प्रदान करती है, जिसे संकटग्रस्त बच्चे के लिए चाइल्ड लाइन या उनकी ओर से प्रौढ़ों द्वारा एक्सेस किया जा रहा है।

*****